न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारीः– अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं. 130/2018
जी.सी.एम.एस. : 2018/00537

1. रणवीर सिंह पुत्र अमर सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एफएफ बी ए तहसील पदमपुर ज़िला श्रीगंगानगर राज0

–:प्रार्थी

बनाम

1. हरजिन्द्र सिंह पुत्र रणवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एफएफ बी ए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थितिः–

1. श्री रविन्द्र बिश्नोई, वकील प्रार्थी
2. श्री लखविन्द्र सिंह, वकील अप्रार्थी सं. 1

–: निर्णय :–

दिनांक :17.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता अमर सिंह के नाम से चक 25 एफएफ ए तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 60 में दर्ज मु.नं. 25 की 2.836है. नहरी खातेदार भूमि थी। प्रार्थी के पिता का देहान्त हो चुका हैं। प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त भूमि की वसीयत प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में 21.01.1994 को की थी। उक्त भूमि ब0हि0ब0 प्रार्थी व अप्रार्थी को बरूहे प्राप्त हुई हैं। प्रार्थी ने चक 25 एफएफ ए तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 57 मु.नं. 29 की 0.535है. व 0.536है. कुल 1.071है. नहरी भूमि खरीद की जाकर अप्रार्थी सं. 1 के नाम से करवाई। प्रार्थी उपरोक्त भूमि पर अपने पिता के जीवनकाल से व खरीद के बाद से लगातार काबिज चला आ रहा हैं। प्रार्थी के पिता के देहान्त के बाद राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त रकबा अकेले अपने नाम से दर्ज करवा लिया। अप्रार्थी सं. 1 उक्त रकबा को किसी अन्य को हस्तान्तरण रहन व बैय कर देता है तो प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा व ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा कि चक 25 एफएफ का खाता सं. 60 मु.नं. 25 प.नं. 215/228 की 2.836है. नहरी व खाता सं. 57 मु.नं. 29 प.नं. 218/229 की कुल 3.037है. खातेदारी भूमि में प्रार्थी को विधि विरूद्ध तरीके से बेदखल करने व उक्त रकबा किसी अन्य को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण करने से बाज व ममनु रहे जारी करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के दादा अमर सिंह द्वारा अपनी वाके चक 25 एफएफ ए तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 60 में दर्ज मु.नं. 25 की 2.836है. भूमि की वसीयत अप्रार्थी सं. 1 ... की थी। जिसके आधार पर अप्रार्थी के दादा अमर सिंह का देहान्त होने के बा... वसीयत की रूह से अप्रार्थी सं. 1 अकेले को ही प्राप्त हुई हैं। ... प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.01.1994 की वसीयत फर्जी व कूटरचित है। ... का खाता सं. 57 मु.नं. 29 की कुल 1.071है. नहरी खातेदारी भूमि अप्रार्थी सं. 1 स्वयं की ही पूंजी से सुखवीर ... हरबंश सिंह से उचित प्रतिफल राशि अदा कर जरिये बैय... खरीद की गयी है व उ... पर खरीद की रोज से ही अप्रार्थी साधिकार काबिज हैं। अप्रार्थी के नाम से वसीय व बैयनामा की रूह से विधि सम्मत कार्यवाही के जरिये ही भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई हैं। विवादित भूमि में प्रार्थी का किसी भी प्रकार से कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है तथा ना ही वह कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.17 12:27:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

हक व हिस्सा घोषित करवा पाने का विधिक अधिकारी हैं। अर्त प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। जवाब सरकार पेश हुआ।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के पिता द्वारा वसीयत प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में की थी। प्रार्थी ने चक 25 एफएफ ए का खाता सं. 57 की भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम जरिए बैयनामा खरीद की थी। अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि अकेले अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली हैं। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित नहीं की जाती हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः स्थगन आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया किया कि अप्रार्थी के दादा अमर सिंह द्वारा भूमि की वसीयत अप्रार्थी सं. 1 अकेले के पक्ष में ही की गयी थी। तथा खाता सं. 57 की भूमि अप्रार्थी ने स्वंय की ही पूंजी से सुखवीर सिंह व हरबंश सिंह से उचित प्रतिफल राशि अदा कर जरिये बैयनामा खरीद की थी। प्रार्थी का भूमि में कोई हक एवं हिस्सा नहीं हैं। प्रार्थना खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा वसीयत एवं के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के हक हिस्सा का निर्णय मूल वाद में वाद बिन्दू कायम कर साक्ष्यों के आधार पर किया जाना हैं। अप्रार्थी सं. 1 खातेदार टिनेंट हैं। अतः किसी खातेदार टिनेंट के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जाता हैं। तथा न्यायालय द्वारा प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा दिनांक 26.12.2018 को निरस्त किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
सवाईमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.17 12:27:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner